LATEST

NEWS

Election

Date : 14th Jan. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर जयपुर 14-01-2026

एसआईआरः आठ लाख मतदाताओं को नोटिस

जयपुर| प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक जारी नोटिस चरण के दौरान लगभग 8.28 लाख मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए। कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची से वंचित न रहे इसके लिए रोल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। एसआईआर में 41.85 लाख नाम तीन अलग-अलग केटेगरी में काटे गए है। इनमें शिफ्टिंग और एब्सेंट 29.6 लाख नाम शामिल थे। पौने चार लाख वोटर दो जगह या इससे अधिक जगहो पर रजिस्टर्ड होने चलते नाम कटे थे। उधर मतदाताओं की सुविधाओं के लिए मतदान केन्द्रों की संख्या 52469 से बढ़ाकर 61404 की गई, जिससे मतदाताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। रोल पर्यवेक्षकों को प्रत्येक जिले का न्यूनतम तीन बार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। दावा-आपत्ति प्राप्ति, उनके निस्तारण तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के चरण में।

एसआइआर कार्य में लगे कार्मिकों के कर दिए थे तबादले, अब होगी वापसी

मनमाने तबादलों पर चुनाव आयोग की सख्ती, बैकफुट पर आया शिक्षा विभाग

भीलवाड़ा/बीकानेर @ पत्रिका.
प्रदेश के शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर मचे घमासान के बीच अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बैकफुट पर आना पड़ा है। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के कड़े निर्देशों की अनदेखी कर जारी की गई तबादला सूचियों पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग ने उन शिक्षकों और प्राचार्यों के भी तबादले कर दिए थे, जो वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अति-महत्वपूर्ण 'गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम' (एसआइआर) में तैनात हैं। इनमें भीलवाड़ा जिले के करीब 50 से अधिक कार्मिक शामिल हैं, जिन्हें वापस अपने पुराने पद पर आने के लिए कहा गया है। पढ़ें **मनमाने** @ पेज 08

अब शिक्षकों को 'घर वापसी' के आदेश

निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार एसआईआर में नियुक्त जिन कार्मिकों के तबादले हाल ही में किए गए थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित कर दिया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए खड़ी हो गई है, जिन्हें पुरानी जगह से कार्यमुक्त कर दिया गया था और जिन्होंने नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से अपने पुराने पदस्थापन स्थान पर पुन: कार्यभार ग्रहण करना होगा।

एसआइआर : 8.28 लाख मतदाताओं को जारी हुए नोटिस

जयपुर @ पत्रिका. प्रदेश में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त विशेष रोल पर्यवेक्षक ने मंगलवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक की। विशेष रोल पर्यवेक्षक आइएएस अदिति सिंह ने बैठक में पुनरीक्षण प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि आयोग की ओर से लगभग 8.28 लाख मतदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए। इसी प्रक्रिया की निगरानी रोल पर्यवेक्षकों की ओर से की जा रही है। राजनीतिक दलों को एएसडी सूचियां उपलब्ध कराई गई हैं। मतदान केन्द्रों की संख्या 52,469 से बढ़ाकर 61,404 कर दी गई। प्रारूप मतदाता सूची, दावा-आपत्ति विवरण और अपवर्जित मतदाताओं की सूचियां वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई हैं।

मनमाने ...

शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों ताबड़तोड़ 6,500 से अधिक प्राचार्यों की तबादला सूचियां जारी की थीं।

एसआइआर में लगे शिक्षकों के तबादले गैरकानूनी: डोटासरा

जयपुर @ पत्रिका. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने पिछले दिनों स्कूली शिक्षा के साढ़े छह हजार से ज्यादा व्याख्याताओं के तबादलों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इनमें 30 से 35 फीसदी व्याख्याता ऐसे हैं जो एसआइआर में लगे हैं। जबकि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि एसआइआर में कार्यरत कार्मिकों का पूर्व अनुमति के बिना तबादला नहीं किया जा सकता। डोटासरा ने तबादला सूची को गैरकानूनी बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की और कहा कि हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे।

दैनिक नवज्योति Jaipur City - 14 Jan 2026 - Page 7

राजस्थान में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा बैठक, रोल पर्यवेक्षकों का राज्य में दौरा

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)2026 के क्रम में मंगलवार को सचिवालय में भारत निर्वाचन आयोग के नियुक्त विशेष रोल पर्यवेक्षक ने राज्य में चल रही पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विशेष रोल पर्यवेक्षक अदिति सिंह ने सचिवालय में आयोजित बैठक में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

महाजन ने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत पूर्व-गणना चरण में मतदाताओं को उनकी जन्मतिथि एवं वर्ष 2002 की अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। राज्य स्तर पर डाटाबेस आधारित मैपिंग की गई तथा बीएलओ को जरूरी प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2002 की मतदाता सूचियां सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई गईं तथा अंतर-विधानसभा एवं अंतर-राज्य समन्वय स्थापित किया गया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गणना चरण से पूर्व ही लगभग 70 प्रतिशत मतदाताओं की सफल मैपिंग सुनिश्चित की गई। महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को 199 विधानसभा क्षेत्रों (अन्ता विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर) में विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की गई। कुल 5.46 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र जारी किए गए, जिनमें से 5.04 करोड़ मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए गए। इनमें से 98.36 प्रतिशत मतदाताओं की वर्ष 2002 की मतदाता सूची से सफल मैपिंग की गई। महाजन ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके बाद अंता विधानसभा क्षेत्र की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 जनवरी 2026 को किया गया। इस दौरान मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण करते हुए उनकी संख्या 52,469 से बढ़ाकर 61,404 की गई, जिससे मतदाताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। महाजन ने बताया कि रोल पर्यवेक्षकों को प्रत्येक जिले का न्यूनतम तीन बार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। दावा-आपत्ति प्राप्ति, उनके निस्तारण तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के चरण में।

दैनिक नवज्योति
Jaipur City - 14 Jan 2026 - Page 9

ट्रांसफर के लिए पैसा वसूलने वाले हम पर लगा रहे आरोपः दिलावर

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। शिक्षा विभाग में जारी तबादला सूचियों पर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा के हमला बोलने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। दिलावर ने बयान जारी कर कहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए पैसा वसूलने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री हम पर उंगुली उठा रहे हैं। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कांग्रेस की संस्कृति है और डोटासरा उस संस्कृति के मुखिया हैं। उनके शिक्षा मंत्री रहते तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने मंच से शिक्षकों से तबादलों में पैसा लेने की बात पूछी तो शिक्षकों ने हाथ उठाकर पैसे देने की बात कही थी। तबादलों में भ्रष्टाचार भाजपा की संस्कृति नहीं है, यह परंपरा केवल कांग्रेस में नजर आती है।

एसआईआर में लगे कार्मिकों के तबादले किए निरस्त

शिक्षा विभाग में हाल ही में हुए बडी संख्या में तबादलों की सूचियां जारी होने के बाद विभाग ने मंगलवार को इन तबादला आदेशों पर रोक लगा दी, जिनकी ड्यूटी एसआईआर कार्यक्रम में लगी हुई है।

दैनिक नवज्योति
Jaipur City - 14 Jan 2026 - Page 9

तबादला सूचियों में खुला भ्रष्टाचार, पूरी तबादला सूची निरस्त हो: डोटासरा

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। शिक्षा विभाग में पहले तबादला सूचियां जारी होने और बाद में एसआई आर में लगे कार्मिकों के तबादले निरस्त करने के आदेशों पर पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

डोटासरा ने कहा है कि परीक्षा के एक माह शेष रहने के बावजूद शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किए गए हैं, पहले सितम्बर, 2025 में सात हजार से अधिक प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण किए गए। सोमवार को व्याख्याताओं की तबादला सूची के विरोध में सोशल मीडिया पर लिखा गया और शिक्षक संघों का प्रदर्शन हुआ तो आज आनन फानन में सरकार ने एसआई आर में लगे कार्मिकों के तबादले निरस्त करने का नया आदेश जारी किया। पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि निजी एवं सरकारी स्कूलों में जो प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें सरकारी व्याख्याताओं की ड्यूटी लगी है उनमें एक-एक व्यक्ति को 10-12 स्कूलों का प्रभार दिया गया है। अब आदेश निकला है प्रायोगिक परीक्षाएं करवाने वाले असमंजस में हैं। क्योंकि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि ये शिक्षक पुराने स्थान पर ही रहेंगे और यदि राजकीय आदेश की पालना में नए स्थान पर ज्वाईन करें तो प्रायोगिक परीक्षा कौन करवाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं है।

पंजाब केसरी
WED,14 JANUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा आरोप

प्रदेश में टीचर्स ट्रांसफर में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल

एसआईआर प्रक्रिया में लगे टीचर्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता फिर भी भ्रष्टाचार के चलते किए जा रहे, ये आयोग निदेश की अवहेलना

जयपुर, 13 जनवरी (विशेष संवाददाता) : शिक्षा विभाग में तबादले के नाम पर जो भ्रष्टाचार का तबादला उद्योग चल रहा है। परीक्षा के एक माह शेष रहने के बावजूद बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए हैं। पहले सितंबर में 7 हजार से अधिक प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण किए, जो उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य बन गए वे 8 महीने तक काउंसलिंग के अभाव में पदस्थापन के इंतजार में बैठे रहे। एक ही स्कूल में 3-3, 4-4 प्रधानाचार्य पदस्थापित हैं और अब व्याख्याताओं के चुनाव आयोग के आदेशों के बावजूद एसआईआर चल रही है। इसमें कार्य कर रहे किसी भी कार्मिक का बिना अनुमति के स्थानांतरण नहीं करें, लेकिन 6500 व्याख्याताओं के स्थानांतरण कर दिए, जिसमें से 30-35 प्रतिशत व्याख्याता एसआईआर कार्य में लगे हैं। इस सूची का अनुमोदन शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से करवाना चाहिए था लेकिन इजाजत नहीं ली इसलिए यह सूची पूरी तरह से गैरकानूनी है।

यह गंभीर आरोप पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए लगाए। राज्य सरकार के तबादला आदेश के कारण एक स्थान पर तो शिक्षक नहीं रहेंगे व दूसरे स्थान पर जहां एसआईआर में लगे कार्मिक का तबादला आदेश प्रत्यारित हो गया है वहां दो कार्मिक हो जाएंगे। सूची से पता चलता है कि 2 हजार से 2500 कार्मिक डबल हो जाएंगे, इतने ही स्थानों पर पद खाली रहेगा। तबादले के नाम पर बुरी तरह से धांधली हो रही है दो-तीन माह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार में तबादला उद्योग चल रहा है।

पंजाब केसरी
WED,14 JANUARY 2026
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

SIR की भ्रांतियां दूर करने की कवायद

सचिवालय में हुई बैठक में पहुंचे राजनीतिक दलों के नेता

जयपुर, 13 जनवरी (विसं) : एसआईआर प्रोग्राम को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने की कवायद के चलते मंगलवार को सचिवालय समिति कक्ष में एक अहम बैठक हुई। इसमें राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव अदिति सिंह ने की।

राजस्थान में एसआईआर को लेकर ऑब्जर्वर का दायित्व अदिति सिंह को दिया गया है। उनकी अध्यक्षता में आहूत बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रदेशाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया था। इसमें जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, सीपीएम के प्रतिनिधि सहित कई दलों के प्रतिनिधि पहुंचे। बैठक में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों की कई भ्रांतियों एवं उनके सवालों के जवाब दिए गए। साथ ही एसआईआर को लेकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

EC: Scrutiny of citizenship only for deletions

The EC has told SC that scrutiny of citizenship under SIR is limited to ensuring deletion of non-citizens from rolls, does not extend to termination of citizenship. Senior advocate Rakesh Dwivedi told the court the commission is entitled to examine whether a person is an Indian citizen. **P16**

SIR scrutiny only for voter rolls, not deportation: EC

Dhananjay.Mahapatra
@timesofindia.com

ERO's conclusion that a voter's citizenship was doubtful would not automatically result in a declaration that s/he was not a citizen of India, EC said

New Delhi: Election Commission on Tuesday told Supreme Court that scrutiny of citizenship during SIR of voter lists was only meant to ensure deletion of non-citizens from electoral rolls and did not extend to termination of citizenship or deportation.

EC, through senior advocate Rakesh Dwivedi, told a bench of Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi that Article 326 of the Constitution mandated that only Indian citizens were entitled to be included in the electoral rolls.

For this purpose and this alone, EC was entitled to inquire and conclude whether a person was an Indian citizen, entitling him to be a voter. "If a person is found not to be a citizen of India by EC, then his name will either not be included in the voter list or, if it is there, then it would be struck off," he said.

Dwivedi said no person with a shadow of doubt over citizenship could be included in the voter list. However, such a determination by the Electoral Registration Officer (ERO) would not automatically result in a declaration that s/he was not a citizen of India — which was the domain of the competent authorities. "The ERO's conclusion about a voter's citizenship being doubtful and the resultant removal of his name from the voter list can be set aside by a court of law only if it finds that the procedure adopted for such determination was perverse and illegal," he said.

"Under the SIR exercise, the citizenship of an individual for the purposes of Citizenship Act, 1955, will not terminate on account of the fact that he/she is held to be ineligible for registration in the electoral rolls," EC said.

Since the documents that could be used to establish citizenship were within a person knowledge, the burden of proof lay with the individual, it said.

Dwivedi said when doubts arose about an elected representative's citizenship, the President or the governor was constitutionally bound by EC's opinion on whether the MP or MLA had incurred disqualification over being a non-citizen. This meant EC had the power to inquire into citizenship of MPs or MLAs if doubts arose, he said.

Arguments in the matter will resume Thursday.

एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश पर रोक

जोधपुर/ नवज्योति। राज्य में गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) से जुड़े कार्मिकों को लेकर शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी आदेश के अनुसार एसआईआर कार्यक्रम में तैनात कार्मिकों की कार्यमुक्ति और कार्यग्रहण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एसआईआर कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे पर्यवेक्षक, बीएलओ, हेल्प डेस्क प्रभारी, सुपरवाइजर एवं अन्य कार्मिकों को अब किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इस कार्य से जुड़े कार्मिकों की हद तक पूर्व में जारी स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदेशों को प्रत्याहारित (निरस्त) कर दिया गया है। आदेश के अनुसार यदि कोई कार्मिक स्थानांतरण आदेश के तहत एसआईआर कार्य से कार्यमुक्त होकर नए स्थान पर कार्यग्रहण कर चुका है, तो उसे भी तत्काल प्रभाव से पुनः अपने पूर्व पदस्थापन स्थल पर वापस जाकर कार्यग्रहण करना होगा।

निदेशालय ने यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशों की अनुपालना में जारी किया है, ताकि गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

Divisional Commissioner Holds Meeting with Political Parties on SIR, Final Voter List on February 14

Discussion on draft voter list and intensive revision process, focus on error-free electoral roll

FAIR REPORT

Chittorgarh. In Chittorgarh district, a meeting was held regarding the Special Intensive Revision (SIR) of voter lists. Divisional Commissioner Pragya Keval Ramani met representatives of recognised political parties and informed them that the final voter list will be published on February 14.The meeting was held on Tuesday at the committee hall, where issues related to the draft voter list and the Special Intensive Revision programme were discussed. Representatives of political parties shared their problems and suggestions, and officials assured timely solutions. The Divisional Commissioner said that all political parties have been actively involved in the intensive voter revision process from the beginning. Guidelines issued by the Election Commission have also been shared through online links. She said that preparing a clean, accurate and error-free voter list is a shared responsibility, so that no eligible voter is left out.

She asked party representatives to report any doubts, objections or mistakes on time so that corrections can be made before the final publication. Additional District Collector Prabha Gautam informed the meeting about the work completed so far under the Special Intensive Revision programme in the district.

The Divisional Commissioner also interacted with three Booth Level Officers (BLOs) from the Chittorgarh and Begun assembly constituencies and reviewed their role in the draft voter list publication and ground-level work. Sub-Divisional Officer Binu Deval, along with representatives of recognised political parties, was present at the meeting.

बीएलओ व सुपरवाइजरों को दिया प्रशिक्षण

जिला परिषद में आयोजित बैठक में दिये निर्देश

श्रीगंगानगर (एसबीटी न्यूज)। जिला परिषद सभागार में बुधवार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने सबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समस्त बीएलओ और सुपरवाईजरों को विशेष गहन पुर्नरीक्षण कार्यक्रम के तहत दिये गये नोटिस का जवाब कल तक आमंत्रित करने सबंधित प्रशिक्षण दिया गया। कल तक नोटिस के अनुसार आवश्यक कागजात पेश नहीं करने वाले मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से कल गुरुवार को विशेष गहन पुर्नरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 2002 की मतदाता सूची में शामिल वोटर कार्ड संख्या एवं सबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि है।

निर्वाचन कार्यों की बारीकियों से कराया रूबरू

बीएलओ को दी गई तकनीकी ट्रेनिंग

फाइटर न्यूज़ @ श्रीगंगानगर

आगामी निर्वाचन संबंधी कार्यों की तैयारी और मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर आज जिला परिषद सभागार में जिले के बूथ लेवल अधिकारियों-बीएलओ के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग में बीएलओ को डिजिटल प्रक्रिया और तकनीकी सुधारों की विस्तृत जानकारी दी गई।

मास्टर ट्रेनर विकेश कुमार ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान बीएलओ को 'जनरल नोटिस फेज' के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि इस चरण के दौरान फील्ड से किस तरह डॉक्यूमेंट्स एकत्र करने हैं, उन्हें पोर्टल पर | शेष... | पेज 2 पर

मतदाता सूची की तैयारियों पर चर्चा

पंचायती राज आम चुनाव को लेकर प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को दिया गया प्रशिक्षण

जनगण न्यूज

पाली। पंचायती राज आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में भाग-संख्यावार प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी विमलेन्द्र सिंह राणावत ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा पंचायत आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रपत्र ए-1 तैयार करने के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रात: 10:30 बजे से भाग संख्या 1 से 60 तथा प्रात: 11:00 से 11:30 बजे तक भाग संख्या 61 से 117 तक के प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को मास्टर ट्रेनर सुरेश कुमार व्यास एवं अर्जुन सिंह द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर ललित कुमार दवे, अनिल नामा, रमेश अणकिया, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार, राजेश कुमार सैन, प्रहलाद सिंह चम्पावत, जुगलाल, जय प्रकाश, लोकेश दवे, मनोज कुमार रांगी, पारसराम, आशीष चौधरी, अनिता पारिक सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े कार्मिक उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण में मतदाता सूची की तैयारियों पर चर्चा

पाली. मतदाता सूची की तैयारियों पर चर्चा करते कार्मिक।

पाली @ पत्रिका. पंचायत आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में भाग संख्यावार प्रगणकों एवं सुरपवाइजर को प्रशिक्षण दिया। उपखंड अधिकारी विमलेन्द्र सिंह राणावत ने बताया कि प्रशिक्षण में निर्वाचन विभाग की ओर से पंचायत आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रपत्र ए-1 तैयार करने के बारे में प्रातः साढे दस बजे भाग संख्या 1 से 60 एवं प्रात 11 से साढ़े ग्यारह बजे तक भाग संख्या 61 से 117 तक के प्रगणकों एवं सुरपवाइजर को सुरेश कुमार व्यास एवं अर्जुन सिंह ने प्रशिक्षण दिया।

इस मौके ललित कुमार दवे, अनिल नामा, रमेश अणकिया, मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार,राजेश कुमार सेन, प्रहलाद सिंह चम्पावत, जुगलाल, जय प्रकाश, लोकेश दवे, मनोज कुमार रांगी, पारसराम, आशीष चौधरी, अनिता पारीक समेत कार्मिक मौजूद रहे।

एसआईआर को लेकर संभागीय आयुक्त ने ली राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक

(यूथ की आवाज़)

चित्तौड़गढ़, जिले में मतदाता सूचियों के गहन परीक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार क संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने समिति कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन एवं गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर समाधान किया गया। संभागीय आयुक्त ने कहा कि गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दल प्रारंभ से ही सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों की जानकारी लिंक के माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। यदि किसी प्रकार की शंका या आपत्ति हो तो समय रहते जानकारी दें, जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रभा गौतम ने जिले में गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी संभागीय आयुक्त ने चित्तौड़गढ़ एवं बेगू विधानसभा क्षेत्र के तीन बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) से भी चर्चा कर ड्राफ्ट प्रकाशन में उनकी भूमिका की जानकारी ली। बैठक में उपखंड अधिकारी चित्तौड़गढ़ बीनू देवल सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सीधा सवाल
पेज 2
14 जनवरी 2026

एसआईआर को लेकर संभागीय आयुक्त ने ली राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक

सीधा सवाल। चित्तौडगड। जिले में मतदाता सूचियों के गहन परीक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार कोसंभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने समिति कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन एवं गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर समाधान किया गया। संभागीय आयुक्त ने कहा कि गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दल प्रारंभ से ही सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी लिंक के माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। यदि किसी प्रकार की शंका या आपत्ति हो तो समय रहते जानकारी दें, जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रभा गौतम ने जिले में गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।संभागीय आयुक्त ने चित्तौड़गढ़ एवं बेगू विधानसभा क्षेत्र के तीन बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) से भी चर्चा कर ड्राफ्ट प्रकाशन में उनकी भूमिका की जानकारी ली। बैठक में उपखंड अधिकारी चित्तौड़गढ़ बीनू देवल सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी को

जननायक | चित्तौड़गढ़। जिले में मतदाता सूचियों के गहन परीक्षण पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 14 फरवरी को किया जाएगा।

इस संबंध में मंगलवार को संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने समिति कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन एवं गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर समाधान किया गया। संभागीय आयुक्त ने कहा

कि गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दल प्रारंभ से ही सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी लिंक के माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे। यदि किसी प्रकार की शंका या आपत्ति हो तो समय रहते जानकारी दें, जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रभा गौतम ने जिले में गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। संभागीय आयुक्त ने चित्तौड़गढ़ एवं बेगूं विधानसभा क्षेत्र के तीन बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) से भी चर्चा कर ड्राफ्ट प्रकाशन में उनकी भूमिका की जानकारी ली। बैठक में उपखंड अधिकारी चित्तौड़गढ़ बीनू देवल सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर चित्तौड़गढ़ भास्कर 14-01-2026

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जारी

कपासन | मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिये जा रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र कपासन के सभी 17 मतदान केंद्रों से संबंधित भाजपा के बूथ अध्यक्ष एवं बीएलए 2 संबंधित बूथ लेवल अधिकारी से सपर्क कर मतदाता सूची में नाम जुड़ने से वंचित रहे पात्र लोगों से प्रपत्र 6 भरवाकर दे रहे हैं। मतदान केंद्र संख्या 150 के बूथ लेवल अधिकारी शंकर सिंह रागावत को जीएसएस अध्यक्ष नंदकिशोर टेलर ने आवेदक का प्रपत्र 6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दिया।